राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.11(9)नविवि / 2020 **जयपुर दिनांक:– 2 MAR 2023**

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 06.01.2023 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना में मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र शहर का नाम ....(भवन विनियम) 2020 के प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

(I) विघमान विनियम संख्या 10.02.1(र)(iv), 10.2.2(क)(vii) को प्रतिस्थापित निम्न प्रकार से किया जाता है

- विनियम संख्या 10.02.1(र)(iv):– फार्म हाउस योजना या फार्म हाउस के एकल भूखण्ड दोनो में अधिकतम आच्छादन भूखण्ड क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्ग मीटर जो भी कम हो आवासीय उपयोग हेतु देय होगा। फार्म हाउस के भूखण्डों पर निर्मित आवासीय भवन के अतिरिक्त खुले क्षेत्र का उपयोग कृषि / कृषि आधारित उपयोग / वृक्षारोपण / नर्सरी / ऑरचार्ड आदि हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।
- विनियम 10.2.2(क)(vii):– मिश्रित उपयोग के भूखण्ड अथवा वाणिज्यिक भूखण्ड पर मिश्रित उपयोग यथा वाणिज्यिक, आवासीय, संस्थागत, होटल, मल्टीप्लेक्स, कार्यालय एन्टरटेनमेंट कॉम्पलेक्स एक से अधिक उपयोग (व्यवसायिक 50 प्रतिशत तक) सम्मिलित रूप से अथवा एकल उपयोग के रूप में अनुज्ञेय होंगे। शेष यथावत।

(II) विनियम संख्या 10.02.1(र)(ii) एवं 10.2.6 (स)(ii) को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त / राजस्थान आवसन मण्डल।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

2/3/23

उप नगर नियोजक